राष्ट्र सेविका समिति की पूर्व (तृतीय) प्रमुख संचालिका वंदनीय उषाताई चाटी जी के पुण्यतिथि पर उन्हें सादर अभिवादन।
— नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले 60 प्रतिशत टीकों की आपूर्ति भारत करता है।
— निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

आजादी का अमृत उत्सव पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित

नई दिल्ली (एसएनबी)। इंद्रप्रस्थ वरिष्ठ नागरिक वेजिटेशन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में आजादी के अमृत उत्सव पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रह्म कुमार सिंघल के स्वागत भाषण से हुआ। कार्यक्रम में तनुश्री की संस्था 'वागेश्वरी नृत्यालय' व मालती श्याम की संस्था 'नृत्य उल्लास' के करीब 25 बालक बालिकाओं ने अपने कत्थक व भारतनाट्यम के नृत्य संगीत और देश प्रेम के गीतों से समां बांध दिया। सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने भी अपने मधुर गीतों से देश प्रेम की ललकार से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। इस अवसर पर इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज के अध्यक्ष प्रभात कुमार अग्रवाल, संस्था के सचिव भारत भूषण गुप्ता मौजूद थे। उप सचिव राधा-कृष्ण ने सभी का धन्यवाद किया।

पूर्व मध्य रेल

निविदा सूचना

सं. डीएनआर/एसएण्डटी/सिग/2022-23/6
दानापुर, दिनांक: 12.08.2022

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से मंडल रेल प्रबंधक (सिगनल एवं दूर संचार) पूर्व मध्य रेलवे, दानापुर मंडल, निम्नलिखित कार्य हेतु रेलवे के वेबसाइट पर निविदाएं आमंत्रित करते हैं: **कार्य का नाम एवं स्थान:** दानापुर मंडल के तहत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में संशोधन के साथ हाथीदह स्टेशन पर मौजूदा सिगनलिंग कार्य प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन के साथ इंटरलॉक्ड एलसी गेट (एनएचएआई के लिए) के प्रावधान के संबंध में एस एंड टी कार्य. **अनुमानित लागत:** रु. 1,15,84,691.42 **बयाना राशि:** 2,07,900.00 **निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय:** दिनांक 05.09.2022 को 15.00 बजे तक। **निविदा खोलने की तिथि एवं समय:** दिनांक 05.09.2022 को 15.30 बजे। **वेबसाइट विवरण:** www.ireps.gov.in **कार्यालय का पता जहाँ से निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है:** वरीय मंडल एवं दूर संचार अभियंता कार्यालय, दानापुर
नोट: विवाद की स्थिति में अंग्रेजी नोटिस मान्य होगा। यदि जरूरत हुई तो शुद्धि पत्र उपरोक्त वेबसाइट पर 14 दिन पहले अपलोड कर दिया जायेगा।

वरि.मं.सं. एवं दूर सं. अभि./पूर्व मध्य रेल/दानापुर
पीआर/00852/डीएनआर/एसएण्डटी/टी/22-23/36

सार्वजनिक सूचना

आकांक्षा राजस्व अधिकारी सहकारी आवास समिति लि०

जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि आकांक्षा राजस्व अधिकारी, सहकारी आवास समिति लि० गाजियाबाद के सदस्य [illegible]

(सी.बी.सिंह), सचिव

IN THE COURT OF HON'BLE DISTRICT JUDGE
TIS HAZARI COURTS
(CENTRAL DISTRICT), DELHI
SUIT FOR RECOVERY UNDER THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908

COMMERCIAL SUIT No.....of 2022
IN THE MATTER OF
ICICI BANK LTD. ...PLAINTIFF
Vs.
MANOJ KUMAR MISHRA ...DEFENDANTS(S)

MEMO OF PARTIES

IN THE MATTER OF:
ICICI BANK LTD. (Through its Authorised Representative Pankaj Jain)
Having its Registered Office at:- LANDMARK, RACE COURSE CIRCLE, VADODARA-390007.
Inter alia having its Branch Office at:
RANI JHANSI ROAD, JHANDEWALAN EXTENSION, OPPOSITE METRO STATION, DELHI- 110055 ...PLAINTIFF
VERSUS
Manoj Kumar Mishra
Cb 302, Ring Road Near Petrol Pump, Naraina Kair Kair, Delhi-110028, Mob: 9958724055, Email : manojmishra.vicc76@gmail.com ...DEFENDANT(S)

Whereas you are intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 06.12.2022 the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and the seal of the court, this 30.07.2022.

PLAINTIFF BANK
Through Counsel
(HEMANT GUPTA & ASSOCIATES)
Advocates & Consultants

यमुना का जल स्तर फिर खतरे के निशान के पार

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली में बुधवार को एक बार फिर यमुना में जल स्तर खतरे के निशान 204.5 मीटर के पार चला गया।

हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से यमुना में छोड़ा गया पानी

अधिकारियों ने बताया कि ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बीच हरियाणा द्वारा हथिनी कुंड बैराज से और पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जल स्तर बढ़ गया है। इसके पहले शुक्रवार को जल स्तर खतरे के निशान के पार चला गया था। इसके कारण प्राधिकारियों को निचले इलाकों में रह रहे करीब 7 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा। जल स्तर सोमवार को खतरे के निशान से नीचे चला गया था और मंगलवार को शाम छह बजे 203.96 मीटर पर था। दिल्ली सरकार के बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने बताया कि पानी का स्तर फिर से बढ़ गया और मंगलवार मध्यरात्रि के आसपास यह खतरे के निशान को पार कर गया। बुधवार को सुबह सात बजे यह 204.89 मीटर पर था। केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार नदी का जल स्तर बुधवार रात नौ बजे तक 205.25 मीटर तक बढ़ने तथा उसके बाद स्थिर रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दो-तीन दिनों में भारी बारिश की संभावना है।

बाढ़ पीड़ितों के आश्रय के लिए मयूर विहार में सड़क के किनारे लगाए गए टेंट। फोटो : प्रेट्र

सीयूईटी में खामियां बरकरार, कई केंद्रों पर परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित

नई दिल्ली (एसएनबी)। केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) स्नातक का चौथा चरण बुधवार से शुरू हो गया और इस चरण में भी छात्रों को तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ा। कई छात्रों ने अपने अपने केंद्र में परीक्षा रद्द होने का भी दावा किया। गुरु हरगोबिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इन्फॉरमेशन' जसोला में 'एशिया पैसेफिक इंस्टीट्यूट' और पीतमपुरा में 'विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज' समेत अन्य परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने दावा किया कि तकनीकी खामियों और सर्वर संबंधी दिक्कतों का हवाला देकर उन्हें वापस जाने को कहा गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा कि सभी प्रभावित छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा।

यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा कुछ केंद्रों पर सर्वर संबंधी दिक्कत रही। सभी प्रभावित छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। कुछ छात्रों ने यह भी दावा किया कि उनकी परीक्षा निर्धारित समय से करीब दो घंटा बाद शुरू हुई। परीक्षा देने पीतमपुरा पहुंची देवयानी ने कहा कि पहली पाली में परीक्षा शुरू होने के लिए हमें दो घंटे का इंतजार करना पड़ा। तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए कुछ छात्रों को लौटा दिया गया। नाम न उजागर करने की शर्त पर एक छात्र ने कहा कि चौथे चरण का आयोजन किया जा रहा है और अब भी परीक्षा रद्द होना जारी है। चौथे चरण में करीब 3.6 लाख परीक्षार्थियों को शामिल होना था। अधिकारियों ने बताया कि 11 हजार अतिरिक्त परीक्षार्थियों को 17 से 20 अगस्त को चौथे चरण की परीक्षा में बैठना था, लेकिन उनके लिए परीक्षा को 30 अगस्त के लिए टाल दिया गया है, ताकि परीक्षा केंद्र उनकी पसंद के शहर में समायोजित किया जा सके। योजना के अनुसार सीयूईटी-यूजी के सभी चरणों की परीक्षा 20 अगस्त तक समाप्त होनी थी। परीक्षा का संचालन करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बाद में घोषणा की कि परीक्षा के सभी चरण 28 अगस्त तक पूरे हो जाएंगे।

यूजीसी के अध्यक्ष ने कहा- प्रभावित छात्रों को दिया जाएगा दोबारा मौका

कुछ केंद्रों पर निर्धारित समय से घंटों विलम्ब से शुरू हुई परीक्षा

डीपीएस आरकेपुरम के 50वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आज से

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरकेपुरम इस साल अपनी स्थापना का 50वां वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर स्कूल की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। खेल भावना और सौहार्द की भावना के तहत स्कूल अपने पूर्व छात्रों व उनके परिजनों के लिए 18 अगस्त को गोल्फ क्लब 'गोल्फ टूर्नामेंट' का आयोजन कर रहा है। इसी दिन बाद शाम को 'बैक टू स्कूल' कार्यक्रम होगा और स्कूल परिसर में डीपीएस आरकेपुरम परिवार के सदस्यों का स्वागत किया जाएगा। इस दौरान गीत-संगीत का आयोजन भी होगा। एम्स और ओआरबीओ एम्स के सहयोग से स्कूल की ओर से 'स्वयं से पहले सेवा' के स्कूल के आदर्श वाक्य के तहत रक्तदान व अंग प्रतिज्ञा अभियान का आयोजन भी होगा। इसी प्रकार 20 और 21 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है। इस मौके पर वर्तमान व पुराने छात्र एक साथ 'कृष्ण लीला' पेश करेंगे। इस दौरान स्कूल की 50 साल की यात्रा को डॉक्यूमेंट्री और कॉफी टेबल बुक के जरिए दर्शाया जाएगा।

स्किल डेवलपमेंट के लिए टाटा पावर डीडीएल ने किया करार

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी में बिजली आपूर्ति कर रही टाटा पावर डीडीएल ने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली स्किल एंटरप्रिन्योरशिप यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। यह यूनिवर्सिटी साइंस के पाठ्यक्रम एवं संकाय विकास में योगदान देगी और टाटा पावर डीडीएल के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में उन्नत पाठ्यक्रम शुरू करने में मदद करेगी। करार पर टाटा पावर डीडीएल की तरफ से चीफ कस्टमर एक्सपीरियंस द्विजादास बसाक ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर डीएसईयू के वाइस चांसलर नेहारिका वोहरा, रिहान खान सूरी भी मौजूद थीं।

अंतर धार्मिक विवाहित जोड़ों के लिए बने प्रकोष्ठ संवेदनशील बनें

■ अमरेश कुमार

नई दिल्ली। एसएनबी

अंतर धार्मिक विवाहित जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने कहा कि इसको लेकर गठित जिला विशेष प्रकोष्ठों को संवेदीकरण बनाने एवं उसे प्रचारित करने की जरूरत है, जिससे जरूरतमंद दंपति उससे मदद मांग सकें। उसने यह भी कहा कि यह समय की आवश्यकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक नव दंपति की याचिका पर सुनवाई करते हुए किया, जिसने अंतरधार्मिक शादी की थी और अदालत से सुरक्षा की मांग की थी।

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि पुलिस के हलफनामा से पता चलता है कि इस तरह का प्रकोष्ठ है। लेकिन उसके बारे में न याचिकाकर्ता को पता था और न ही मुझे। आखिर उसमें क्या है कि उसे छुपाने की जरूरत है। न्यायमूर्ति ने इसके बाद दिल्ली सरकार को इसके बारे में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, जिसमें यह बताया जाए कि उक्त जिला प्रकोष्ठों ने क्या कदम उठाए हैं व कितने मामले निपटाए हैं। उन्होंने सरकार से जवाब मांगते हुए सुनवाई 8 सितम्बर के लिए स्थगित कर दी।

दंपति की ओर से यह याचिका एक एनजीओ धनक ऑफ ह्यूमैनिटी ने दाखिल की है और कहा है कि जोड़े ने एक सुरक्षित घर में आश्रय की मांग की है। न्यायमूर्ति ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में प्रकोष्ठ के बारे में बताया गया है। लेकिन वह अपने तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के बारे में बताने में विफल रहा है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा नहीं किया गया है कि उक्त विशेष प्रकोष्ठों को कैसे प्रचारित किया जाएगा जिससे जरूरतमंद दंपति जागरूक हो सकें और वहां जाकर सहायता मांग सकें।

न्यायमूर्ति ने मौखिक टिप्पणी करते हुए सरकारी वकील से कहा कि यह वह एक नेक काम है लेकिन यह एक खाली औपचारिकता या कागजी कवायद नहीं होनी चाहिए। कृपया लोगों को जागरूक करें। यदि वे एक नवजात अवस्था में है तो कृपया उसे सक्रिय करें। यह समय की आवश्यकता है। यदि यह एक अंतर्जातीय विवाह है, जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। आखिर ये विशेष प्रकोष्ठ कहां हैं। क्या आपने इनका प्रचार किया था? क्या आपने कहा था कि ये विशेष प्रकोष्ठ उन व्यक्तियों के लिए हैं जो अंतर्धार्मिक विवाह करते हैं? मुझे इन विशेष प्रकोष्ठों के बारे में पता नहीं था। यहां तक कि मैं भी उनके बारे में पहली बार सुन रहा हूं। आपको विज्ञापन देना चाहिए ... आपको लोगों को बताना चाहिए। पुलिस देश और राज्य के लोगों एवं नागरिकों की सेवा के लिए है।

दंपति ने कहा था कि उन्हें अपने परिवारों से धमकी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्हें शहर में किराए के आवास ढूंढने में भी परेशानी हो रही है। दोनों ने अपने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ पिछले साल मार्च में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी। महरौली थाने के एसएचओ के स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों की 15 समितियों का गठन जिला विशेष प्रकोष्ठ के रूप में किया गया था।

प्रकोष्ठों के बारे में प्रचारित करने की जरूरत जिससे जरूरतमंद दंपति उनसे मदद ले सकें : हाईकोर्ट

न्यायाधीश की टिप्पणी, ऐसे प्रकोष्ठ के बारे में न याचिकाकर्ता को पता था न मुझे

दिल्ली सरकार बताए, जिला प्रकोष्ठों ने क्या-क्या कदम उठाए हैं और कितने मामले निपटाए

सार्वजनिक सूचना

आकांक्षा राजस्व अधिकारी सहकारी आवास समिति लि०

जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि आकांक्षा राजस्व अधिकारी, सहकारी आवास समिति लि० गाजियाबाद के सदस्य [illegible]

(सी.बी.सिंह), सचिव

सार्वजनिक सूचना

आकांक्षा राजस्व अधिकारी सहकारी आवास समिति लि०

जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि आकांक्षा राजस्व अधिकारी, सहकारी आवास समिति लि० गाजियाबाद के सदस्य [illegible]

(सी.बी.सिंह), सचिव

केजरीवाल के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर

नई दिल्ली (एसएनबी)। विधायक सोमनाथ भारती ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन अनूठे अंदाज में मनाया। इस मौके पर क्षेत्रीय लोगों व कार्यकर्ताओं ने ब्रिजिंग द गैप फाउंडेशन द्वारा विधायक कार्यालय मालवीय नगर में आयोजित शिविर में रक्तदान किया। विधायक सोमनाथ भारती और महरौली विधायक नरेश यादव ने भी रक्तदान किया। सोमनाथ भारती ने कहा कि एनजीओ ब्रिजिंग द गैप फाउंडेशन पिछले कई सालों से रक्तदान शिविर लगाता आया है। इस साल यह शिविर लगाने में उन्हें रोटरी क्लब का खुलकर साथ मिला। सौ से ज्यादा लोगों ने इस दौरान रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। कोरोना काल को याद करते हुए सोमनाथ भारती ने कहा कि उन दिनों खून लेने वाले बहुत थे, लेकिन रक्तदान देने वाले बहुत कम इसलिए हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार खून किसी न किसी शिविर में जाकर दान जरूर करना चाहिए। शिविर में रक्तदान करने आए लोगों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। उन्होंने कहा कि देश और समाज के प्रति हम सभी की जिम्मेदारी है इसलिए हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए और जीवन बचाने के लिए रक्तदान करना उनमें से एक है।

आयोग का कार्यकाल पांच माह और बढ़ा

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में यहां के तीस हजारी कोर्ट में वकीलों व पुलिस के बीच हुई झड़प की जांच करने वाले न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल पांच महीने के लिए और बढ़ा दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि उसे आयोग के प्रमुख सेवानिवृत न्यायमूर्ति एसपी गर्ग से जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध मिला है। 25 जुलाई को भेजे गए अनुरोध पत्र से पता चलता है कि जांच के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। इसलिए, न्याय के हित में जांच पूरी करने के लिए आज से पांच महीने और दिए जाते हैं। कोर्ट ने जनवरी में जांच समाप्त करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया था। उसने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद 338 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। कुछ और गवाहों से पूछताछ किए जाने की संभावना है। मामले के अनुसार 2 नवम्बर, 2019 को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और एक वकील के बीच पार्किंग को लेकर विवाद के बाद अदालत परिसर में दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई थी। उसमें 20 से अधिक पुलिसकर्मी और कई वकील घायल हो गए थे।

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

(पूर्व में "ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड" के नाम से ज्ञात) (CIN: L65922RJ2011PLC034297)
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302020

कब्जा नोटिस

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में "ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड" के नाम से ज्ञात) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" की धारा 13(12) और सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दर्शाए अनुसार राशि का मांग पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी। चूंकि ऋणी सम्बंधित राशियों का भुगतान करने में विफल रहे अतः ऋणियों तथा आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) सहपठित नियम 9 के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दर्शाई गई दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणियों व जमानतियों को विशिष्टया तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया इनद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार निम्न खातों के सामने दर्शाई गई बकाया राशि तथा उन पर ब्याज व खर्चों के लिए, आवास फाइनेंस आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में "ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड" के नाम से ज्ञात) के प्रभार के अध्यधीन होगा।

ऋणी का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख एवं प्रकार
देवेन्द्र सिंह, कमला नेगी खाता सं. LNNOH02218-190074307	7 जून 2022 ₹ 1237599/- बकाया दिनांक 6 जून 2022 तक	आवासीय मकान बियरिंग नं. 2ई/119बी, ईडब्ल्यूएस, दूसरी मंजिल, सेक्टर-2ई, कामना, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 28.56 वर्ग गज	सांकेतिक कब्जा दिनांक 16 अगस्त 2022
मुकेश कुमार, मीनाक्षी खाता सं. LNNOH00318-190088149	7 जून 2022 ₹ 1512987/- बकाया दिनांक 6 जून 2022 तक	फ्रीहोल्ड आवासीय सम्पति, फ्लेट नं. यूजीएफ-4, अप्पर ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नं. पी-14 व 15 पर, खसरा नं. 1473, बालाजी इनक्लेव कॉलोनी, रईसपुर, परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 650 वर्ग फीट	सांकेतिक कब्जा दिनांक 16 अगस्त 2022
नरेन्द्र कुमार, कविता खाता सं. LNDEL02618-190089387	7 जून 2022 ₹ 1212416/- बकाया दिनांक 6 जून 2022 तक	फ्लेट नं. 27, फर्स्ट फ्लोर, पोकेट-2, ब्लॉक सी-8, सेक्टर जी-2, नरेला, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली क्षेत्रफल 33.29 वर्ग मीटर	सांकेतिक कब्जा दिनांक 16 अगस्त 2022
बिरेन्दर सिंह, सुनीता यादव खाता सं. LNBHI00617-180048945 & LNBHI04318-190082265	7 जून 2022 ₹ 1436428/- व ₹ 478270/- बकाया दिनांक 6 जून 2022 तक	सम्पति स्थित मुस्तातिल नं. 140, किला नं. 25(8-0), मौजा जटौली, पाटोदी, गुरूगांव क्षेत्रफल 544.5 वर्ग गज	सांकेतिक कब्जा दिनांक 16 अगस्त 2022

स्थान : जयपुर दिनांक 18-08-2022 प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

बाबा रामदेव के विवादित बयान पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने कोरोना टीका पर दिए बाबा रामदेव के विवादित बयान पर चिंता व्यक्त की है। उसने कहा कि बाबा ने कोरोना टीका के प्रभावकारिता पर सवाल उठा दिया है और कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन टीका का बूस्टर डोज लेने के बावजूद संक्रमित हो गए। कोर्ट ने कहा इस तरह के बयान से हमारे देश के साथ अन्य देशों की संबंध को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के बयान से आयुर्वेद की बदनामी हो सकती है।

बाबा ने कोरोना टीका के प्रभावकारिता पर सवाल उठा दिया : कोर्ट

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि बाबा रामदेव के तर्क उनके अनुयायियों व उनकी बातों पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए ठीक हो सकते हैं लेकिन उन्हें एलोपैथी के खिलाफ बयान देकर जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह बात डाक्टर एसोसिएशन की एलोपैथी के खिलाफ दिए बयान को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। कोर्ट ने कहा कि आयुर्वेद की प्रतिष्ठा को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक प्राचीन और सम्मानित चिकित्सा पद्धति है। वह आयुर्वेद की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित हूं। यह एक मान्यता प्राप्त, सम्मानित और प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। दूसरा यह कि यहां लोगों का नाम लिया जा रहा है। यह हमारे देश के अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई आगे के लिए स्थगित कर दी और कहा कि जरूरी हुआ तो इस मामले में रोजाना सुनवाई करेंगे।

सार्वजनिक सूचना

आकांक्षा राजस्व अधिकारी सहकारी आवास समिति लि०

जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि आकांक्षा राजस्व अधिकारी, सहकारी आवास समिति लि० गाजियाबाद के सदस्य [illegible]

(सी.बी.सिंह), सचिव

गुमशुदा/अपहृत की तलाश

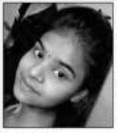

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम **लक्ष्मी पुत्री** तेजपाल **निवासी:** आरजेड-डी/29, 50 फुटा रोड के पास, निहाल विहार, दिल्ली है, जो कि अपने घर से दिनांक 12.08.2022 से लापता/अगवा है। जिसका ब्यौरा इस प्रकार है **उम्र:** 19 वर्ष, **कद:** 5'4", **रंग:** गेंहुआ, जिसने गुलाबी रंग का सूट-सलवार और पैरों में चप्पल पहनी है। इस संदर्भ में **डीडी नं. 100-ए, दिनांक 14.08.2022 को थाना निहाल विहार, दिल्ली में दर्ज है।**

हर संभव कोशिश के बाद भी इस लड़की का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अगर किसी को इस लड़की बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सूचित करें।

वेबसाईट: http://cbi.nic.in
ई-मेल: cic@cbi.gov.in
फैक्स: 011-24368639
फोन नं.: 011-24368638, 24368641
DP/91/OD/2022

थानाध्यक्ष
थाना निहाल विहार, दिल्ली
फोन: 011-25946700, 25946710

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भूखंड संख्या-1, सेक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, जिला- गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि Flat No. 103, 1st Floor, Tower-A, Aishwaryam, Gaur City-2, Sector-16C, Area-134.708 Sqm., Greater Noida जो कि Mr. Shubham Srivastava & Mrs. Neha Srivastava जिनका Flat No. 103, Tower-A, Aishwaryam, Gaur City-2, Sector-16C, Greater Noida West के नाम पर उप निबंधन कार्यालय, सदर गौतमबुद्ध नगर में दिनांक- 02.02.2019 को पंजीकृत है। Mr. Shubham Srivastava की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी Mrs. Neha Srivastava ने उक्त भूखंड/भवन में अपने पति के भाग का नामांतरण प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर अपने पक्ष में करने हेतु म्यूटेशन प्रपत्र प्रस्तुत किये हैं। अतः इस म्यूटेशन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन की तिथि के 35 दिन के अंदर अपनी लिखित आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज कराने का कष्ट करें, अन्यथा नियमानुसार प्राधिकरण अभिलेखों में Mrs. Neha Srivastava W/o Late Sh. Shubham Srivastava का नाम दर्ज कर दिया जायेगा।

प्रबंधक (बिल्डर्स)
ग्रेटर नोएडा औ. वि. प्राधिकरण

परिसमापन प्रक्रिया विनियमों (आईबीबीआई, 2016) के विनियम 37ए के तहत नोटिस
मैसर्स एसआर फोइल्स एंड टिस्यू लिमिटेड (परिसमापन में) की आस्तियों के लिए सूचना
सीआईएन - U24246DL1997PLC088633
(दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016-("IBC") के अधीन समनुदेशन,

निवेशकों से आईबीबीआई परिसमापन प्रक्रिया विनियमावली, 2016 के विनियम 37ए के अधीन मैसर्स एसआर फोइल्स एंड टिस्यू लिमिटेड (परिसमापन में), की आस्तियां "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "बिना रिकोर्स आधार" पर समनुदेशन के लिए प्रस्तावित की जा रही हैं, की तत्काल [illegible] के अयोग्य आस्तियों के समनुदेशन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित हैं,
समनुदेशन के लिए प्रस्तावित आस्तियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

तत्काल वसूली योग्य नहीं आस्तियों की सूची

विवरण
सभी अधिकारों और हितों का असाइनमेंट, प्लॉट क्षेत्रफल लगभग 57,935 वर्ग मी. एस.पी.-26, एस.पी.-26(ए) ने, और एस.पी.-26(ए1), औद्योगिक क्षेत्र, सोतानाला, तहसील बहरोर, जिला अलवर, राजस्थान सहित उस पर निर्मित भवन और संपूर्ण प्लांट एवं मशीनरी सहित, और संबद्ध संपत्ति के स्वामित्व के लिए सभी परिणामी अधिकार शामिल हैं, रुपये 53,29,789/- के बकाया देय के लिए रीको द्वारा रद्द किए गए आवंटन के लिए मुकदमेबाजी के अधिकार सहित।

इच्छुक पार्टियां अपने प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास अधिकतम शनिवार, 03.09.2022 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। समनुदेशन आईबीसी, 2016 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रणाली तथा प्रक्रिया सूचना दस्तावेज के अधीन होगा। असाइनमेंट/ट्रांसफर को अंतिम रूप देना नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अनुमोदन के अधीन होगा। अतिरिक्त विवरण के लिए, कृपया वेबसाइट www.arck.in पर प्रकाशित प्रक्रिया सूचना दस्तावेज देखें।

श्री अनिल कोहली
परिसमापक: मैसर्स एस.आर फोइल्स एण्ड टिस्यू लि.
IBBI पंजी. नं. IBBI/IPA-001/IP-P00112/2017-2018/10219, AFA Valid upto 06.04.2023
409, अंसल भवन, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-45101111, ईमेल: insolvency@arck.in
दिनांक : 18-08-2022
स्थान: नई दिल्ली